

समाहरणालय, समस्तीपुर
(जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)
पत्रांक 645 दिनांक 02/12/2019

अपर आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक 1274/ आ० नि० को० दिनांक 22/11/2019 के आलोक में डॉ० शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, नि:शक्तता बिहार, पटना के समस्तीपुर जिला में दिव्यांगजनों के हितार्थ आयोजित चलंत न्यायालय, लोक अदालत व अन्य से संबंधित भ्रमण कार्यक्रम की विवरणी:-

क्रम स०	तिथी	समय सारणी	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1	09/12/2019 (सोमवार)	07:00 AM से 03:00 PM	जिला के विभिन्न प्रखंडों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडमोकेसी/ समीक्षात्मक बैठक।	(प्रखंड मुख्यालय) ताजपुर-07:00 पू० से 08:00 पू०/ कल्याणपुर-09:00 पू० से 10:00 पू०/ सरायरंजन- 11:00 पू० से 12:00 अ०/ उजियारपुर- 01:00 अ० से 02:00 अ०/ दलसिंहसराय- 02:30 अ० से 03:30 अ०	सहायक निदेशक, जि०सा०सु०को०/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को०, समस्तीपुर।
		04:00 PM से	प्रेस कॉन्फ्रेंस (इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मिडिया के साथ) इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मिडिया के सभी पत्रकार	समाहरणालय सभागाय	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर।
2	10/12/2019 (मंगलवार)	07:00 AM से 10:00 AM	जिला के विभिन्न प्रखंडों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडमोकेसी/ समीक्षात्मक बैठक।	(प्रखंड मुख्यालय) पुसा- 07:00 पू० से 08:20 पू०	सहायक निदेशक, जि०सा०सु०को०/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को०, समस्तीपुर।
3	10/12/2019 (मंगलवार)	10:00 AM से 12:00 PM	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिती तथा प्रगति की समीक्षा) 41- उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर। 42- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर। 43- उप समाहर्ता प्रमारी बैंकिंग, समस्तीपुर। 44- उप पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर। 45- अपर समाहर्ता, समस्तीपुर। 46- अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर। 47- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर। 48- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर। 49- श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर। 50- अपर समाहर्ता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्तीपुर। 51- जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी, समस्तीपुर। 52- जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर। 53- निदेशक, जिला ग्रामीण विकास	जिला सभागाय	सहायक निदेशक, जि०सा०सु०को०/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को०, समस्तीपुर।

			अभिकरण, समस्तीपुर।		
			54- जिला सहकारीता प्रसार पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			55- जिला नियोजन पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			56- कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर।		
			57- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (सर्व शिक्षा अभियान), समस्तीपुर।		
			58- जिला कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			59- जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			60- सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर।		
			61- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			62- जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			63- जिला अभियंता जिला परिषद, समस्तीपुर।		
			64- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			65- जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			66- जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			67- जिला खेल-कूद पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			68- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर/ अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर/पटौरी/ दलसिंहसराय/रोसड़ा।		
			69- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत दलसिंहसराय/ रोसड़ा।		
			70- जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, समस्तीपुर।		
			71- निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर।		
			72- कारा अधीक्षक, समस्तीपुर।		
			73- उपनिर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			74- भूमि सुधार उप समहर्ता, समस्तीपुर।		
			75- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।		
			76- सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, समस्तीपुर।		
			77- प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, समस्तीपुर।		
			78- जिला प्रबंधक जीविका, समस्तीपुर।		
			79- जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, समस्तीपुर।		
			80- जिला हेड ग्राहक सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0), समस्तीपुर।		

4	10/12/2019 (मंगलवार)	12:00 PM से 01:00 PM	अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी विभिन्न पदाधिकारी, के साथ बैठक।	पुलिस सभागार	इस बैठक के आयोजन में पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करेंगे।
5	10/12/2019 (मंगलवार)	01:00 PM से 02:00 PM	विभिन्न कॉलेज/कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :- 6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर। 7. प्रधानाचार्य, संबंधित जिला स्थित सभी महाविद्यालय, समस्तीपुर। 8. सभी आई0टी0आई0 के प्राचार्य, समस्तीपुर। 9. प्रधानाचार्य, पोलेटेकनिक कॉलेज, समस्तीपुर। 10. डी0आर0सी0सी0 (जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र), समस्तीपुर।	शिक्षा विभाग समाकक्ष	विकास आयुक्त
6	10/12/2019 (मंगलवार)	02:00 PM से 03:00 PM	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि के साथ बैठक। 4. जिला बैंकिंग वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग, समस्तीपुर। 5. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (LDM), समस्तीपुर। 6. जिला अंतर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक/(नोडल) पिछले 3 वर्ष में दिव्यांगजनों के लिये बैंकों द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	समाहरणालय सभागार, समस्तीपुर।	वरीय उप समाहर्ता SDC / (LDM) बैंकिंग, समस्तीपुर।
7	10/12/2019 (मंगलवार)	03:00 PM से 04:00 PM तक	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13(2) के तहत ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांग सेरेबल पॉल्सी एवं बहु दिव्यांग के पुर्नवास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेवल कमिटी की बैठक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक।	समाहरणालय सभागार, समस्तीपुर।	सहायक निदेशक, जि0सा0सु0को0/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को0, समस्तीपुर।
8	10/12/2019 (मंगलवार)	04:00 PM से 05:00 PM तक	रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल का निरीक्षण उपस्थिति:- 4. स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक। 5. जिला उद्योग पदाधिकारी, समस्तीपुर। 6. नगर आयुक्त/नगर परिषद् एवं सदर अनुमण्डलीय पदाधिकारी। नोट:- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल आदि जगहों पर	नगर आयुक्त/ अनुमंडल पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी (E.O.)/ जिला परिषद्।

9	11/12/2019 (बुधवार)	07:00 AM से 09:00 AM	जिला के विभिन्न प्रखंडों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/ समीक्षात्मक बैठक।	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, जि०सा०सु०को०/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को०, समस्तीपुर।
10	11/12/2019 (बुधवार)	09:00 AM से 11:00 AM	सदर अस्पताल का निरीक्षण।	सदर अस्पताल	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर।
11	11/12/2019 (बुधवार)	11:00 AM से 01:00 PM	जनप्रतिनिधियों/ पंचायत प्रतिनिधि/ बोर्ड प्रतिनिधि/ सिविल सोसाइटी/ समाज सेवी के साथ बैठक। 5. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद। 6. नगर परिषद जिला अन्तर्गत सभी पार्षद। 7. प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। 8. दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले सभी NGOs के प्रतिनिधि। नोट:- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का व्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	जिला परिषद भवन/ नगर परिषद सभाकक्ष।	उप विकास आयुक्त/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/ नगर परिषद संयुक्त रूप से।
12	11/12/2019 (बुधवार)	02:00 PM से 03:00 PM	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रमुख, शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक) 5. जिला शिक्षा पदाधिकारी। 6. कार्यक्रम पदाधिकारियों, शिक्षा समस्तीपुर। 7. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों। 8. प्राइवेट विद्यालयों के निदेशक, प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य समस्तीपुर। नोट:- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का व्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	DRCC समस्तीपुर।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर।
13	11/12/2019 (बुधवार)	03:00 PM से 04:00 PM	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/ जिला में दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेम्बर) तथा प्रपत्रों एवं रजिस्टर मेन्टन हेतु पी० एच० सी० स्तर के क्लर्क/ सहायक के साथ बैठक। नोट:- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का व्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	सदर अस्पताल, समस्तीपुर।	SDC (स्वास्थ्य सेवा)/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
13	11/12/2019 (बुधवार)		जिला आई० सी० डी० एस० के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी० डी० पी० ओ० एवं महिला सुपरवाइजर्स के साथ बैठक एवं स्थानीय सेविका।	चलन्त न्यायालय के आयोजन स्थल पर।	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS)

13	11/12/2019 (बुधवार)	04:00 PM से 05:00 PM	विकास मित्र, न्याय मित्र, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेन्टीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।	चलन्त न्यायालय के आयोजन स्थल पर।	जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी।
14	12/12/2019 (वृहस्पतीवार)	10:00 AM से 07:00 PM (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)		जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/ उप विकास आयुक्त/ सहायक निदेशक, जि0सा0सु0को0, समस्तीपुर/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को0, समस्तीपुर।

14. जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर दिनांक 09/12/2019 को राज्य आयुक्त निःशक्तता के साथ समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलान्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे।
15. दिनांक - 10/12/2019 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक जिला सभागार, समस्तीपुर में आयोजित समीक्षात्मक बैठक हेतु सभी पदाधिकारी अपने विभागीय वांछित प्रतिवेदन (अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक 1274/आ0 नि0 को0 दिनांक-22/11/2019 की छाया प्रति के संलग्न के अनुरूप) तैयार कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर को दिनांक 05/12/2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ बैठक में भी भाग लेंगे।
16. दिनांक - 10/12/2019 को 12:00 बजे से 01:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी, नामित करेंगे तथा सभी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समस्तीपुर/ दलसिंहसराय/पटोरी, एवं जिला के प्रमुख थानों के थाना प्रभारी को अपने स्तर से बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे।
17. जिला बैंकिंग वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर दिनांक 10/12/2019 को 02:00 बजे से 03:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, समस्तीपुर से समन्वय स्थापित कर सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक, की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें अलग से पत्र भी निर्गत किया जाय।
18. जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर दिनांक 10/12/2019 को 01:00 बजे से 02:00 बजे तक आयोजित बैठक में नोडल पदाधिकारी, के रूप में सुचारु रूप से बैठक सम्पन्न करावेंगे।
19. जिला उद्योग पदाधिकारी, समस्तीपुर दिनांक -10/12/2019 को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक उनके निरीक्षण के दौरान उनके साथ भ्रमणशिल रहेंगे। उनसे निदेश प्राप्त कर उनके निरीक्षण में आवश्यक सहयोग देंगे।
20. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर निर्धारित तिथि को ससमय सदर अस्पताल, समस्तीपुर के निरीक्षण हेतु आवश्यक तैयारी पूर्व से पूर्ण कर लेंगे। साथ ही निरीक्षण में अपने स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
21. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, समस्तीपुर दिनांक 11/10/2019 को 11:00 बजे से 01:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्रखंड प्रमुख को सूचना उपलब्ध करावेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर अपने स्तर से सभी वार्ड पार्षद समस्तीपुर जिला को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र निर्गत करेंगे।

22. जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर दिनांक 11/12/2019 को 02:00 बजे से 03:00 बजे तक आयोजित बैठक को नोडल पदाधिकारी के रूप में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य को बैठक में भाग लेने हेतु सूचित करेंगे।
23. अस्तैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर दिनांक-11/12/2019 को 03:00 बजे से 04:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समस्तीपुर जिला को भाग लेने हेतु निदेश देंगे। साथ ही नोडल पदाधिकारी के रूप में बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
24. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, समस्तीपुर दिनांक 11/12/2019 को 04:00 से 05:00 बजे तक आयोजित बैठक भाग लेने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी ऑगनवाड़ी पर्यवेक्षिका का अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे। तथा बैठक में उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे।
25. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र स्वयं अपने सभी कर्मियों के साथ दिनांक 11/12/2019 को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक चलंत न्यायालय के आयोजन स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
26. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर से अनुरोध है कि स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य आयुक्त, निःशक्ताता नें टेलिफोनिक वार्ता के कम में इच्छा व्यक्त की है, कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 धारा 84 के अन्तर्गत बिहार में गठित दिव्यांगजनो के लिए विशेष न्यायालय के संबंध में जिला सत्र न्यायाधीश एवं अन्यलोगों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। इस हेतु समूचित सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही दिनांक 11/12/2019 को 04:00 बजे से 05:00 बजे तक पी0एल0भी0 के भोलेनटीयर को आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देंगे।

उपरोक्त के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं:-

4. नजारत उप समाहर्ता, समस्तीपुर:- भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में जिला गृह समस्तीपुर में उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
5. स्थापना उप समाहर्ता समस्तीपुर:-
 (क) राज्य आयुक्त निःशक्ताता दिनांक 09/12/2019 से 12/12/2019 तक जिला अतिथि गृह, समस्तीपुर में रहेंगे। अतः 24 घंटे उनके साथ एक कार्यालय परिचारी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः स्थापना उप समाहर्ता के द्वारा तीन सिफ्टों में कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति दिनांक 09/12/2019 से 12/12/2019 तक के लिए की जायेगी।
 (ख) इसके अलावे जिला अतिथि गृह समस्तीपुर में दिनांक 09/12/2019 से 12/12/2019 तक एक लिपिक, एक कार्यापालक सहायक एवं एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति कार्यालय अवधि में की जायेगी, जिनके द्वारा राज्य आयुक्त निःशक्ताता के निदेशानुसार प्रतिवेदन आदि का संग्रहण किया जायेगा।
 (ग) दिनांक 12/12/2019 को चलंत न्यायालय में एक वरीय लिपिक, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सहित कुल 06/ कार्यापालक सहायक (डिक्टेसन प्राप्त करने एवं आदेश निर्गत करने हेतु) एवं तीन कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिनके द्वारा चलंत न्यायालय का कार्य में सहयोग किया जायेगा।

राज्य आयुक्त निःशक्ताता के लाईजेनिंग पदाधिकारी के रूप में श्री राजेश कुमार, जिला प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन कार्यक्रम सह बुनियाद केन्द्र, समस्तीपुर (8210490033) को राज्य आयुक्त, बिहार के समस्तीपुर जिला आगमन से उनके प्रस्थान करने तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

अनुलग्नक:- अपर आयुक्त, निःशक्ताता बिहार पटना के पत्रांक-1274/ आ0नि0को0 दिनांक 22/11/2019 की छाया प्रति संलग्न।

6. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि चलंत न्यायालय में विधि व्यवस्था हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।

नोट:- समस्तीपुर जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों प्रधान चलंत न्यायालय की तिथि को ससमय चलंत न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

६०८

जिलाधिकारी
समस्तीपुर।

ज्ञापांक.....६५५...../सा०सु०को०, दिनांक ०२/११/२०१९

15. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित। चलंत लोक अदालत के कार्यक्रम में समयानुसार भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
16. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
17. समस्तीपुर जिला अन्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के पत्रकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
18. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
19. सचिव रेड क्रॉस सोसाईटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
20. अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर, दलसिंहसराय, रोसड़ा एवं पटोरी/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर/जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल/पथ प्रमंडल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समस्तीपुर/सर्व शिक्षा अभियान/जिला कल्याण पदाधिकारी समस्तीपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, समस्तीपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला अभियंता, जिला परिषद, समस्तीपुर/जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला खेल कूद पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर, दलसिंह सराय एवं नगर पंचायत रोसड़ा/जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, समस्तीपुर/निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, समस्तीपुर/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर/कारा अधीक्षक, समस्तीपुर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, समस्तीपुर/पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, समस्तीपुर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला प्रबंधक, जीविका, समस्तीपुर/जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है, कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक-1274/आ० नि० को० दिनांक 22/11/2019 की छाया प्रति संलग्न का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
21. नजारत उप समाहर्ता, समस्तीपुर एवं स्थापना उप समाहर्ता, समस्तीपुर को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर से पर्याप्त समन्वय करेंगे।
22. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी० एल० भी० के भोलेनटीयरस के साथ चलंत न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
23. अपर समाहर्ता समस्तीपुर/ उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24. पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ अनुरोध है कि अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक 1274 दिनांक 22/11/2019 के आलोक में राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार के लिए दिनांक-09/12/2019 को 07:00 पूर्वाह्न से दिनांक 12/12/2019 तक स्कॉट अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक-12/12/2019 को 07:00 पूर्वाह्न से अंतिम निष्पादन तक चलंत न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुरुष कुल-30 (तीस) एवं महिला बल कुल-30 (तीस) की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
25. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
26. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
27. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
28. अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,
जि०सा०सु०का०,
समस्तीपुर।

उप विकास आयुक्त,
समस्तीपुर।

जिलाधिकारी,
समस्तीपुर।